ISBN: 978-81-974088-0-9

3. वर्तमान समाज एवं दिव्यांगो की विवाह संबंधी समस्याएं

डॉ. विनय प्रताप सिंह

(विभागाध्यक्ष), श्याम शिक्षा महाविद्यालय,
सक्ती (छत्तीसगढ़).

प्रस्तावना –

कोई भी मनुष्य तब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता जब तक वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि शारीरिक तथा मानसिक विकास ही मनुष्य के स्वस्थ होने का एक उचित मापदण्ड होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के व्यक्तित्व का संतुलित विकास है जिससे वह अपने इर्दगिर्द के लोगों के साथ सहयोग की भावना के साथ रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य केवल लोगों के मध्य का सम्बन्ध ही नहीं अपितु उस समाज के लोगों व अन्य व्यक्तिगत सम्बन्धों की विषयवस्तु भी है।

वस्तुतः दिव्यांग शब्द को संवैधानिक रूप से 31 जनवरी 2017 से मान्य किया गया। इससे पूर्व ऐसे समस्त बच्चों को दिव्यांग शब्दों से संबोधित किया जाता था जो व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता था तथा कहीं न कहीं बालमन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता था। भारत के संदर्भ में यदि अध्ययन किया जाये तो ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जो दिव्यांग (दिव्यांग) होते हुए भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचे जिनमें अष्टावक्र, सूरदास, शकुनि, धृतराष्ट आदि प्रमुख रहे है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत देश में लगभग 1.21 करोड़ दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग बालकों से अभिप्राय उन बालकों से होता है जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते है।

ऐसे बालक (बच्चे) जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व अन्य व्यवहार के कारण अपनी आयु के अन्य (सामान्य) बालकों से भिन्न होते हैं वे विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं अर्थात् वह बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो जिसके कारण उनकी उपलब्धियाँ अधूरी रह जाती है दिव्यांग या अपंग बालक कहलाता हैं।

दिव्यांग का अर्थ –

दिव्यांग या दिव्यांगजन का हिंदी में अर्थ दिव्यांग व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दिव्यांग शब्द के प्रचलन से पहले नियमित रूप से बातचीत में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द दिव्यांग था, जिसका अर्थ था 'गैर–कामकाजी शरीर के अंग वाला व्यक्ति'। अंग्रेजी में दिव्यांग शब्द का अर्थ है 'दिव्य शरीर का अंग वाला व्यक्ति'।

दिव्यांग बालक को अक्षम बालक या अपंग बालक भी कहा जाता है। ऐसे बालक दैहिक रूप से दिव्यांग होते हैं। अपंग बालकों की संख्या लम्बी बीमारी से ग्रस्त बालकों की संख्या से अधिक होती है। ऐसे बालकों की ओर सबका ध्यान जाता है। लगातार असफल रहने के कारण, ये बालक विद्यालय छोड़ जाते हैं। अपंग बालक और रोगी बालक दोनों ही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों के लिये विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।

दिव्यांग की परिभाषा –

''कार्यक्षमता में कमी, जैसे कि देखने, चलने, सुनने या समस्या को हल करने की क्षमता में कमी का होना।''

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.)

''दिव्यांगता एक शारीरिक व मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित करती है जो व्यक्ति की गतिविधियों, इन्द्रियों और कार्यों को बाधित करती है।''

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी

'' दिव्यांगता एक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या विकासात्मक स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के किसी सामान्य दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, बातचीत या गतिविधि को करने या उनमें शामिल होने की क्षमता को बाधित या सीमित करती है।''

मेरियम वेबस्टर के अनुसार

"एक शारीरिक या मानसिक स्थिति जो स्थायी या पुनरावृत हो और इस स्तर तक हो कि व्यक्ति के सामान्य जीवन की जरूरी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करे।"

कनाडा के कैनेडियन ह्युमन राइट्स एक्ट

दिव्यांग बालक –

समाज में रहने वाले व्यक्तियों या विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालकों के समूह को देखें तो चाहे वह निम्न, साधारण या उच्च आर्थिक और सामाजिक वातावरण से आयें हो उनमें से सामान्यतया ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या शारीरिक समायोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी ज्ञानोपार्जन सम्बन्धी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व्यक्तित्व या शारीरिक समस्यायें विशिष्ट प्रकार की होती हैं जिस कारण यह कुछ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं।

जिसमें इनके शरीर का आंशिक या अधिकतम भाग शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता से पीड़ित होता है, इस प्रकार के पीड़ितों के लिये पुर्नवास, रोजगार एवं प्रशिक्षण के साथ विद्यालय में विशेष प्रकार की कक्षा का आयोजन करना आवश्यक हो जाता है।

यदि विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालकों को देखें तो ये साधारण बालकों की अपेक्षा हीन होते हैं, साधारण बालकों की तुलना में इनके शारीरिक, मानसिक एवं सवेगात्मक तत्वों में अन्तर होता है और यह 'असाधारण' या 'विशिष्ट' शब्द उनके लिये प्रयुक्त किया जा सकता है।

कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक तौर पर सामान्य न होकर न्यूनाधिक अक्षम है इस बात को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में हैंडिकैप्ड (handicapped) शब्द प्रयोग में लिया जाता है। 31 जनवरी 2017 से अब उन्हें दिव्यांग कहा जाने लगा है। कोई भी मनुष्य तब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता जब तक वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि शारीरिक तथा मानसिक विकास ही मनुष्य से स्वस्थ होने का एक मापदण्ड होता है।

दिव्यांग बालकों से अभिप्राय उन बालकों से होता है जो सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो जिसके कारण उनकी उपलब्धियाँ अधूरी रह जाती है दिव्यांग या अपंग बालक कहलाते हैं।

क्रो एवं क्रो के अनुसार – अनोखा एवं असाधारण शब्द ऐसे के लिये प्रयोग किया जाता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिये होता है जिससे व्यक्ति विशेष को उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है और उसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियायें तथा कार्य प्रभावित हो जाते हैं। दिव्यांगता के उदभव एवं स्रोत को जानने के पश्चात् इसके व्यापक दृष्टिकोण को समझने के लिये इसे विशिष्ट शिक्षा मे ं तीन शब्दो ं से सम्बोधित किया जाता है– बाधित, असमर्थी एवं अपंग जो आपस में एक दूसरे के समानार्थी अथवापर्यायवाची के रूप में हैं, जिसमे बाधित शब्द मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से है जिसमें बालक का व्यवहार असमान्य हो जाता है। यह जन्म से अथवा जन्म के कुछ समय पश्चात् भी हो सकता है। बाधित बालक वही बाद में असमर्थी हो जाते हैं, असमर्थी बालक पहले बाधित होता है तथा यही बाधिता उसे असमर्थी बनाती है।

एक या एक से अधिक कार्य करने में आने वाली कठिनाई को असमर्थता या अयोग्यता कहा जाता है इन्हें दैनिक जीवन के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। बालक की असमर्थता की सीमा अंशकालिक, दीर्घकालिक अथवा स्थायी भी हो सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो देश की कुल आबादी 2--21 प्रतिशत है। हालाँकि विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी एक अनुमान में देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई गई है।

सामान्यतः दिव्यांगता एक ऐसी अवस्था है जिससे व्यक्ति शरीर के कुछ अंग न होने के कारण अथवा सभी अंगों के होते हुए भी उन अंगों का कार्य सही रूप से नहीं कर पाता – जैसे उँगलियाँ न होना, पोलियो से पैर ग्रस्त होना, आँख होते हुए भी अंधत्व के कारण दिखाई नहीं देना, कान में दोष होने के कारण सुनाई नहीं देना, बुद्धि कम होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाना अथवा बुद्धि होते हुए भी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना आदि।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिव्यांगता की परिभाषा को तीन चरणों में विभाजित किया है –

1. क्षति (Impairment) –

व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबन्धित ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के किसी अंग की रचना अथवा कार्य में दोष/अकार्यक्षमता/दुर्बलता होना।

2. दिव्यांगता (Disability) –

क्षति के कारण दिव्यांगता निर्मित होती ह। अर्थात, संरचनात्मक अथवा कार्यात्मक क्षति लंबे समय तक रहकर व्यक्ति को उसके दैनिक क्रियाकलापों में रूकाबट बन जाती हैं। इस अवस्था को दिव्यांगता कहा जाता हैं।

3. बाधिता (Handicap) –

दिव्यांगता के कारण बाधिता निर्मित होती हैं। यानि दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के अकार्यक्षमता के कारण व्यक्ति को समाज की गतिविधियों और मुख्यधारा में सहभागिता से वंचित होना पड़ता हैं। अर्थात, व्यक्ति समाज द्वारा अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाता हैं। इस अवस्था को बाधिता कहते हैं।

दिव्यांगता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं।

अन्धता (Visual Impaired) –

अन्धता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती हैं जहां कोई व्यक्ति निम्न लिखित अवस्था में से किसी में ग्रसित हैं, अर्थात

1. दृष्टि का पूर्ण अभाव।
2. सुधारको लेंसो के साथ बेहतर नेत्र में द्धष्टि की तीक्षणता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) सें अधिक न हो।
3. दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे तंदतर है ।

कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy&free) –

कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है, किन्तु,

1. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नही हैं।
2. प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त हैं, किन्तु उसके हाथों और पैरो में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रिया–कलाप कर सकता हैं।
3. अत्यन्त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्वावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग मुक्त पद का अर्थ तदानुसार लगाया जायेगा।

श्रवण शक्ति का ह्रास (Hearing and Speech Impaired) –

श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि है।

चलन दिव्यांगता (Locomotors Disabilities) –

चलनदिव्यांगता से हडिडयों, जोडो या मांसपेशियों की कोई ऐसी दिव्यांगता अभिप्रेत है, जिससे अंगो की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो।

मानसिक मंदता (Mentally Retired) –

मानसिक मंदता से अभिप्रत है, किसी व्यक्ति के चित्त की अवरूद्व या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से बुद्वि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है।

मानसिक रूग्णता (Mental ill Health) – मानसिक रूग्णता से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है, निःशक्त व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी दिव्यांगता के कम से कम 40 प्रतिशत से ग्रस्त हैं।

दिव्यांग बालक का अर्थ –

दिव्यांग बच्चा वह युवा व्यक्ति होता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होता है जिससे उनके लिए वह काम करना कठिन हो जाता है जो अन्य बच्चे आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहरा या अंधा होना, बोलने या सीखने में परेशानी होना, या चलने–फिरने में कठिनाई होना शामिल हो सकता है। इन बच्चों को वे काम करने के लिए विशेष सहायता या उपकरण की आवश्यकता हो सकती है जो अन्य बच्चे बिना मदद के कर सकते हैं।

दिव्यांग बालक की परिभाषा –

'' वह बालक जिसका शारीरिक दोस्त उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखना है।"

क्रो और क्रो

''दिव्यांग बालक संज्ञानात्मक , विकासात्मक , बौद्धिक , मानसिक , शारीरिक , संवेदी या कई कारकों का संयोजन होता है।"

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी

दिव्यांग बालकको आने वाली समस्या– मुख्यतः दो तरह की समस्या/ बाधाएू होती हैं :–

1. भौतिक समस्या / बाधाएँ

2. मानसिक समस्या/ बाधाएँ

1. भौतिक बाधाएँ :–भौतिक बाधाओं से तात्पर्य भौतिक वातावरण की बाधाओं से है जैसे सीढ़ियों के विकल्प के रूप में रैम्प न होना, शौचालय के नल, हैंडल आदि पहुँच में न होना, मॉडीफाइड टायलेट का न होना बैठने के लिए अनुकूलित टेबल कुर्सी का अभाव होना, कक्षा के दरवाजों का इतना संकरा होना कि बच्चे की व्हील चेयर अंदर ही न जा सके आदि।

2. मानसिक बाधाएँ :–परिवार, समुदाय शैक्षिक प्रशासकों में रूढ़िवादी व नकारात्मक सोच आदि इन बच्चों के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं जैसे–

- माता पिता सोचते हैं कि ऐसे बच्चे को स्कूल भेजने का क्या फायदा ये पढ़ नहीं सकते
- सामाजिक कार्यों में साथ नहीं ले जाते जिससे उनका सामाजिक विकास रूक जाता है

क्रो एंड क्रो के अनुसार–

ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता हो या उसे सीमित रखता है ऐसे बालक को दिव्यांग बालक कह सकते हैं।

दिव्यांगों की वैवाहिक समास्याएँ –

- वर–वधु चुनाव सम्बधित समस्या।
- वर–वधु में समायोजन संबंधित समस्या।
- वर–वधु के जीवीकोपार्जन संबंधित समस्या।
- विवाह पश्चात संतान उत्पत्ति संबंधित समस्या।
- विवाह संबंधित सरकारी सहायता व अनुदान की अज्ञानता।
- वर–वधु के विवाह में अंतर्जातीय दिव्यांग जोड़ी के विवाह संबंधित समस्या।
- दिव्यांगों के विवाह में समाज की सहायता न मिल पाने संबंधित समस्या।
- दिव्यांगों के विवाह में होने वाले खर्चो संबंधित समस्या।
- दिव्यांगों के विवाह के बाद जीवन यापन संबंधित समस्या।
- शहरों व गाँवों में दिव्यांगों की वैवाहिक समस्याओं की रुढ़िगत प्रणाली।

- दिव्यांगों की शादी में सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता संबंधित समस्या।
- दिव्यांगों की विवाह में उचित योग्यता (शिक्षा, रोजगार, आवास) संबंधित समस्या।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव।

वर–वधु चुनाव को संबांधित समस्या –

दिव्यांगों की वैवाहित समस्याओं में प्रमुख समस्या योग्य वर एवं वधु का चुनाव करना है, जिसमें वर किस प्रकार का दिव्यांग है, तथा वधु किस प्रकार की दिव्यांग है, इसका चुनाव करने में गम्भीर समस्या आती हैं। यदि दोनों समान प्रकार के दिव्यांग है, तो परिवार के लोग विवाह करने के लिए राजी नही होते क्योकि यदि दोनो दिव्यांग होगें तो उनका जीवन कैसे चलेगा इस प्रकार विवाह निश्चित करना काफी मुश्किल काम होता है। उदा0 – यदि एक दिव्यांग व्यक्ति का पैर नहीं है तथा दिव्यांग स्त्री का कान में सुनने में समस्या है तो विवाह करवाना मुश्किल होता है किन्तु दोनों के पैर नहीं तो वर–वधु के जीवन–यापन संबंधित समस्या परिवार वालो को सताती है।

वर–वधु में समायोजन संबंधित समस्या–

विवाह के उपरांत दिव्यांगों वर–वधु में अधिकांश रूप से समायोजन की समस्या आती है, क्योंकि दिव्यांगों के जीवन काल में घरेलू, पारिवारिक एवं विभिन्न व्यक्तिगत समस्या आती है जिसमे वे दिव्यांगता की कुण्ठा के कारण उचित समायोजन करने में प्रायः असमर्थ होते हैं।

जैसे– दिव्यांगता के कारण परिवार वालो के उम्मीदो पर खरा न उतरना जिसका मुख्य कारण खाना पकाना/सफाई करना/आँगन का काम तथा विभिन्न दैनिक गतिविधियों के कार्य में वर/वधु का असमर्थ होना है। दिव्यांगता के कारण वर/वधु एक दूसरे को सामान्य जीवन का सुख देने मे असमर्थ होते है निसका दुष्प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन व आने वाले जीवन पर पड़ता है। दिव्यांगता के कारण सुगमता से बाहर निकलना/दोस्तों से मिलना/समाजिक गतिविधियों में शामिल होना आसान नहीं होता है। उक्त कारणों से उन्हें वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न होती है।

वर–वधु के जीविकोपार्जन संबंधित समस्या –

विवाह के उपरांत दिव्यांग व्यक्ति के जीविको पार्जन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि आज भी दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार की समस्या है। कोई दिव्यांग की आँख, कान, पैर, इत्याादि की समस्या को देखकर अक्सर उन्हे काम पर नही रखते है।

जिससे उन्हें उचित जीविका नहीं मिल पाती है, और उचित जीविका नहीं मिल पाने के कारण कोई भी अभिभावक अपने दिव्यांग पुत्र या पुत्री का विवाह करने में हिचकिचाता है। भारत में 2011 की जनगणना में 2-68 करोड़ व्यक्ति, ''दिव्यांग'' है जो कुल जनसंख्या का 2-21 प्रतिशत है। कुल दिव्यांग जनसंख्या में 56 प्रतिशत पुरुष है तथा 44 प्रतिशत महिलाएँ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजगार के संबंध दिव्यांग व्यक्ति के जीविकोपार्जन में मात्र पुरुष 51ः एवं महिला मात्र 49% कार्यस्थल पर कार्यरत है। जो कि उनकी विवाह में होने वाली प्रमुख समस्याएँ है।

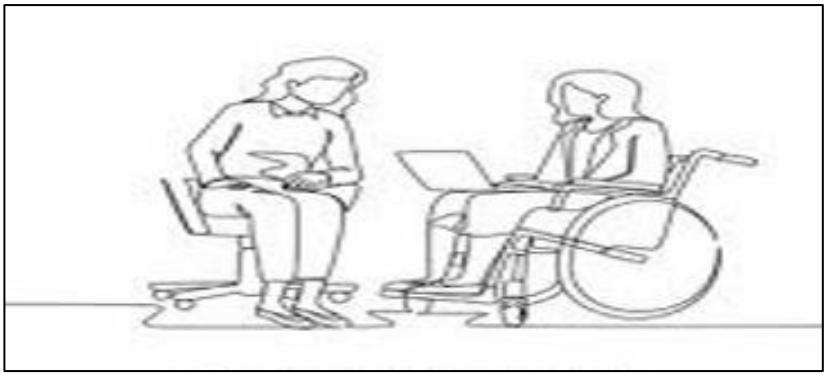

विवाह पश्चात संतान उत्पति संबंधित समस्या–

दिव्यांग व्यक्ति के विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति की समस्या प्रमुख है। क्योंकि अधिकांश दिव्यांग दम्पत्ति अलग–अलग दिव्यांग श्रेणी के होते है। दिव्यांग दम्पत्ति का अलग–अलग दिव्यांगता श्रेणी में होना संतान उत्पन करने में अहम भूमिका निभाता है। संतान उत्पति में दिव्यांग स्त्री–पुरुष की जैविक प्रक्रिया का निर्धारण मुख्य भूमिका निभाती है। किसी दिव्यांग स्त्री के अंदर गर्भधारण क्षमता है कि नहीं या दिव्यांग पुरुष के पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं यह संतान उत्पत्ति की मुख्य समस्या होती है जो कि आगे चलकर उनके वैवाहिक जीवन में अनेको समस्याएँ उत्पन्न करती है। दिव्यांग दम्पत्ति को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कही हमारी दिव्यांगता के कारण हमारी होने वाली संतान दिव्यांग पैदा न हो जाए, इस कारण भी दिव्यांग दम्पत्ति संतान उत्पन्न करने से घबराते है।

विवाह संबंधित सरकारी सहायता व अनुदान की अज्ञानताः–

भारत में आज भी दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह संबंधित सहकारी सहायता व अनुदान की अज्ञानता है जिसके कारण वे विवाह नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा संस्थागत अड़चने, शिथिल कार्यान्वयन, कार्यालयीन भ्रष्टाचार, घूसखोरी, उनकी दिव्यांगता एवं उनकी गरीबी विवाह न कर पाने का प्रमुख कारण है। वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़े बताते है आज भी देश में विव्यांग लोगों की कुल आबादी का 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हैं जहॉ आवागमन की सुविधा न हो पाना, संचार की कमी, रेडियो, पत्र–पत्रिका की अभाव से

वह उचित सरकारी सहायता संबंधी जानकारी से आज भी वंचित है। हालाकि भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा दिव्यांगो के विवाह के लिए दिव्यांग दम्पत्ति में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50 हजार रूपये (एकमुश्त) तथा दोनो (वर–वधू) के दिव्यांग होने पर 1 लाख रूपये (एकमुश्त) अनुदान का प्रववधान है।

वर–वधु के विवाह में अंतर्जातीय दिव्यांग जोड़ी के विवाह संबंधित समस्याः–

दिव्यांग व्यक्ति के विवाह में अंतर्जातीय समस्या होती है क्योंकि समान जाति दिव्यांग स्त्री/पुरूष नहीं मिल पाती है तो अंतर्जातीय विवाह की ओर अग्रसर होना पड़ता है। वर्तमान समय में प्रायः विपरीत जाति के व्यक्ति एवं उनके समाज के लोग विवाह के लिए तैयार नहीं होते है। जिससे दिव्यांग दम्पत्ति के विवाह की समस्या उत्पन्न होती है। हालाकि भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा अंतजातीय विवाह के लिए दिव्यांग दम्पत्ति को हजारो/लाख रूपये के अनुदान का प्रावववधान है।

अन्तरर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 से आशयः–

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को भारत में कई राज्यों की सरकारों ने शुरू किया है जिनमें से बिहार और मध्य प्रदेश भी हैं। इस योजना का नाम क्त. ।उइमकांत थ्वतैबीमउम थ्वतैवबपंस प्दजमहतंजपवद जीतवनही प्दजमत ब्ेंजम डंततपंहमे भी है। इसमें अंतरजातीय विवाह करने पर वैवाहिक जोड़े को सरकार के द्वारा आर्थिक में दी जाती है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को सरकार ने अंतरजातीय विवाह के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।

अन्तरर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य :–

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्यों में अंतरजातीय विवाह के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जिससे समाज के पिछड़े वर्ग को लेकर भी लोगों के मन में समानता की धारणा विकसित हो सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए पति–पत्नी के जोड़े में से एक पिछड़े जाति का होना जरूरी है तभी आपको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

अन्तरर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के आवेदन की प्रक्रियाः–

- सबसे पहले आपको Dr- Ambedkar for Scheme for Social Integration Through Inter Caste Marriages से आवेदन फार्म को डाउनलोड करना होगा।
- उसके बाद इस फॉर्म का Print निकलवाना होगा।
- उसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछे गए जानकारी जैसे कि आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, शादी की तारीख दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज जैसे शादी का कार्ड, शादी की फोटो को आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।
- फिर आप इस आवेदन पत्र और दस्तावेज को संबंधित विभाग के अधिकार के पास जमा कर सकते हैं।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए पात्रताः–

- इस योजना का लाभ जिस राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है वे लोग ही उठा सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए पति–पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति का होना जरूरी है और दूसरा किसी उच्च जाति का होना जरूरी है।
- उनका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाह के 1 साल के भीतर ही इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेजः–

- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र

- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की कुछ फोटो
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

दिव्यांगों के विवाह में समाज की सहायता न मिल पाने संबंधित समस्याः–

दिव्यांगों की विवाह की प्रमुख समस्या में से पारिवारिक एवं समाज की सहायता न मिल पाना प्रमुख है। क्योंकि दिव्यांग दम्पत्ति का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक या अन्य किसी भी रूप से असक्षम होने के कारण विवाह में कठिनाई होती है। अधिकांश दिव्यांग दम्पत्ति परिवार गरीब होने के कारण उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है जिससे सारे उम्रभर विवाह के नाम से हिचकिचाते रहते है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं/समाज में दिव्यांग दम्पत्ति के विवाह के लिए कोई योजना या फण्ड़ न होने के कारण विवाह नहीं हो पाता है। जिसका मुख्य कारण समाज का दिव्यांगो के विवाह के प्रति सकारात्मक नजरिया नही होना है। अक्सर देखा जाता है लोगों की मनोवृति दिव्यांगों की शादी के विरूद्ध रहता है अक्सर कहा जाता है दिव्यांग विवाह करके क्या ही हो जा जायेगा, विवाह के उपरांत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्या बनी रही होती है जो कि कुठा, बाधाओं को जन्म देती है विवाह के समक्ष आने वाली बाधाएँ हैं। संस्थागत बाधाओं के तहत् विवाह की विभिन्न संस्था परिवार, कोर्ट इत्यादि की बाधा दिव्यांगों को विवाह करने से वंचित कर देता हैं।

दिव्यांगों के विवाह में होने वाले खर्चो संबंधित समस्याः–

एक सर्वे के अनुसार, विश्व में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी लगभग 1 बिलियन है। इनमें से लगभग 80ः दिव्यांग गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर पा रहे हैं। वर्तमान समाज के आडम्बरो के होड़ में विवाह करने में वर–वधू दोनो पक्ष को अत्याधिक रूपये खर्च करने पड़ते है। व्यक्ति वर्तमान समाज के रीति–रिवाज, परम्परा व संस्कृति को निभाने के चक्कर में विवाह के दौरान अनेक अनुष्ठान करता है।

जैसे– सगाई/मंगनी/रोका/छेका, तिलक, बारात भोज, बहुभोज आदि, जिसमें वह अपने समाज के अनेक लोगो को खाने पर बुलाता है। जिससे वैवाहिक दम्पत्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और कई बार तो वैवाहिक दम्पत्ति के जीवन भर की जमा पूँजी खर्च करने के बाद भी कर्जा लेना पड़ता है और कई बार तो अपनी पैतृक सम्पत्ति को भी बेचना पड़ता है। विवाह के अनेको खर्चो के डर से भी दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह करने में कठिनाई होती है।

दिव्यांगों के विवाह के बाद जीवन यापन संबंधित समस्याः–

दिव्यांग दम्पत्ति यदि विवाह के सभी प्रकार के खर्चो का प्रबंध करके विवाह कर लेता है तो भी उसे आगे का जीवन यापन करने में अनेको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे–

- दिव्यांगता के कारण रोजगार का न मिल पाना।
- रोजगार न रहने की स्थिति में घर– परिवार का खर्च चलाना प्रत्येक दिव्यांग दम्पत्ति के लिए
- कठिन हो जाता है।
- अपनी गर्भवती पत्नि को आवश्यक देखभाल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- उचित पोषण, खाद्य–सुरक्षा, आदि की समस्या ।

उपरोक्त अनेको समस्याओ के अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याए दिव्यांग दम्पतितयों को विवाह से वंचित कर देता है।

शहरों व गाँवों में दिव्यांगों की वैवाहिक समस्याओं की रुढ़िगत प्रणालीः–

दिव्यांगों की विवाह में गाँवों और शहरों की रुढ़िगत सोच के कारण विवाह में अड़चने आती है। जिसके तहत गाँवों में दिव्यांगों की विवाह की अरुचि, अशिक्षा, अंधविश्वास, स्वास्थ्य की सुविधा, और जागरुकता की कमी ने विवाह के तमाम प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन कर रही है। शहरों में आवास, वित्त की कमी एवं कई जगह पारिवारिक विघटन भारत में दिव्यांग विवाह

के समक्ष चुनौतियाँ है। अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति अपने समकक्ष से दूर रहते है तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते है जो उन्हें अकेलेपन की ओर अग्रसर करती है जो उन्हें कुंठा, उपहास की ओर अग्रसर करती है जो उनके अंदर विवाह की समस्या उत्पन्न करती है।

भारत में आज की दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह में आने वाली समस्याओं में जाति और धर्म का बंधन है। क्योंकि दिव्यांग पुरुष या महिला को समान जाति वर– बधू मिल जाता है तो ठीक है किन्तु विपरीत जाति से विवाह करने के लिए समस्या उत्पन्न होती है। धर्म भी दिव्यांग व्यक्ति के विवाह के लिए प्रमुख समस्या उत्पन्न करती है। विभिन्न धार्मिक समाज की अपनी संस्कृति, रीतिरिवाज, और पध्दति उनको विवाह में समस्या उत्पन करती है।

दिव्यांगों की शादी में संस्थागत अड़चने व सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता संबंधित समस्याः–

दिव्यांग व्यक्ति सरकारी योजना के लिए किसी भी संस्था में आवेदन देता है फिर भी वहा उसे विभिन्न सरकारी संस्थागत अड़चने व भ्रष्टाचारी प्रणाली उसको योजना से वंचित कर देती है। हालांकि विव्यांगों के लिए सरकारी सहायता अनुदान **''सुगग्य भारत अभियान''** के तहत् दिव्यांगों को भवन/इमारत की सुविधा प्रदान की गई, जिसका कार्यान्वयन शिथिल रूप में है। भारत सरकार द्वारा **''दिव्यांग पेंशन योजना''** के तहत् राज्य सरकार प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 500/– रूपए का प्रवधान है किन्तु शासन की शिथिलता और भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण इस योजना का लाभ अधिकांश दिव्यांगों तक नही पहुॅच पा रहा है।

दिव्यांगों की विवाह में उचित योग्यता (शिक्षा, रोजगार, आवास) संबंधित समस्याः–

आज भी दिव्यांगो का संख्या भारत में विश्व बैंक के अनुसार 40 मिलियन बताई गई है। दिव्यांगता के कारण दिव्यांगो की शिक्षा–दीक्षा समुचित ढ़ंग से हो पाती है जिससे उन्हे अपने रूची के अनुसार रोजगार नही मिल पाता है। जिसके कारण दिव्यांग उचित कार्यक्षमता, उचित योग्यता, अशिक्षा, बेरोजगारी, आवास विहिनता शारीरिक संवेदी और मानसिक रोग से ग्रस्त होने के कारण वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न होती है। आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूतिपूर्ण और दया की नजर से देखता है, जिसमे उन्हें सामान्य से अलग या अन्य के रुप में देखे जाने पर वह तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करता है

जिससे दिव्यांगो में वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अक्सर देखा जाता है दिव्यांग व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्ति से कई प्रकार से मन ही मन तुलना करने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें तनावों, कुंठाओं और संघर्षों के ओर ले जाती है।

जिससे उनमें चिंता, तनाव, व्यवहारगत विरतियों अधिक होने की संभावना होती है जो इन्हें विवाह से वंचित एवं विवाह संबंधित समस्याओं की ओर ले जाती है। भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों से प्रभावित होने की संभावनाएँ भी अधिक है। आज भी इस आबादी के 45% लोग निर्भर है, जो उन्हें बेहतर और अधिक सुविधा–संपन्न जीवन के निर्माण प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है। रोजगार की समस्या एवं आवास, पोषण, स्वास्थ, दैनिक दिनचर्या की गतिविधिया दिव्यांग में विवाह के समक्ष आने वाली चुनौतियों है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव :–

भारत में दिव्यांग व्यक्ति के व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य ही ऐसे है तो प्रतिनिधित्व कर पाये । सरकार में कम प्रतिनिधित्व होने के कारण उचित सहकारी योजना तथा सहायता अनुदान नहीं पहुँच पाती हैं जिसे दिव्यंगो को विवाह से वंचित होना पड़ता हैं।

दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाए –

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – 35000 रुपये की सहायता।
2. दिव्यांग विवाह अनुदान योजना
3. कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना।
4. ट्राय सायकिल वितरण योजना।
5. प्रधानमंत्री दिव्यांग लोन योजना – 5% से 8% तक ब्याज दर तय की गई है।
6. सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में 3% सीट दिव्यांग व्यक्ति।
7. दिव्यांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय छात्रवृति योजना।
8. दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के कौशल विकास, पुनर्वास।
9. सामर्थ्य विकास योजना।

10. रेल में अलग से दिव्यांग बोगी की व्यवस्था।

11. ई–श्रम कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड से दिव्यांगों को सहायता।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. विकलांग बच्चों की शिक्षा – राहुल गुप्ता
2. शिक्षा मनोविज्ञान – भाई योगेंद्र जीत
3. विविधता, समावेशी शिक्षा और जेण्डर (NCERT D.El.Ed. Book)
4. https://www.kailasheducation.com
5. यूनिसेफ, 2012
6. teachmint@wp
7. https://viklangta.com/
8. https://www.lsd.law/
9. https://www.drishtiias.com/hindi/
10. https://www.unicef.org/
11. www.sriramakrishnahospital.com.
12. www.google.com
13. www. wikipedia.org
14. https://pmyojanaadda.com/